



2026:AHC: 127943

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19462/2026

अजीत सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: औसिम लूथरा, इरशाद हुसैन,

उत्कर्षनी सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

राकेश कुमार त्रिपाठी, राकेश यादव

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री औसिम लूथरा के ब्रीफ होल्डर करने वाले श्री मयंक चंद्रा, जिन्होंने अनुपूरक शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है, तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश यादव और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना खजनी, जिला गोरखपुर में मुकदमा अपराध संख्या 85 वर्ष 2026, बी.एन.एस., 2023 की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 61(2) के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक मुख्य अभियुक्त दिनेश सिंह का साला/बहनोई है; कथित घटना 10.12.2024 को घटित होना बताया गया है जबकि एफ.आई.आर. 22.03.2026 को दर्ज की गई थी; एक वर्ष से अधिक के विलंब को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भूमि सह-अभियुक्त दिनेश सिंह द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता के पक्ष में बेची गई थी और सह-अभियुक्त दिनेश सिंह द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख से आवेदक का कोई संबंध नहीं है; आवेदक पंजीकृत विक्रय विलेख का न तो लाभार्थी है और न ही गवाह है और उसे मुख्य सह-अभियुक्त का रिश्तेदार होने के कारण इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में प्रथम सूचनाकर्ता का नाम दाखिल-खारिज कर दिया गया था और दीवानी विवाद को दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपराधिक कार्यवाही में घसीटा गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास जमानत आवेदन के प्रस्तर संख्या 17 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है। यह अपराध विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है और आवेदक 24.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा व्यतीत की गई कारावास की अवधि, आपराधिक पूर्ववृत्तों के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत देने का मामला बना लिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **अजीत सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां साक्षीगण की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

नितेंद्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”